फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

मांगीलाल वगैरह बनाम हरकूदेवी वगैरह

किस्म मुकदमा .....225 आर.टी.एक्ट..... मुकदमा नंबर.....26.....सन.....2023.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
12.04.2023	न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली मे पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के फलस्वरूप उक्त पत्रावली आज दिनांक को कार्यालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश हुई। यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर सायला द्वारा प्रकरण संख्या 02/2023 बउवान मांगीलाल वगैरा बनाम हरकुदेवी वगैरा मे पारित आदेश दिनांक 04.04.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री निखिल दवे द्वारा कैवियट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। कैवियटकर्ता के अधिवक्ता आज स्वंय उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओ द्वारा द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर आपसी सहमति से बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ताओ की स्थगन प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर एकतरफा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। उसके पश्चात अप्रार्थी संख्या 02, 03, 05, 06 के नोटिस तामिल प्राप्त हुए। उसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 03 के अधिवक्ता ने 151 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण मे अग्रिम कार्यवाही स्थगित फरमाई जाने बाबत निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ने अधीनस्थ	

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायालय के समक्ष 151 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर अग्रिम कार्यवाही स्थगित फरमाने बाबत निवेदन किया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अग्रिम कार्यवाही स्थगित न कर जैर अपील आदेश के जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारित कर दिया। रेस्पोडेन्ट संख्या 03 द्वारा मूल वाद मे आदेश 7 नियम 11 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसका निस्तारण आदिनांक तक शेष है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना को निस्तारित किये जाने से पूर्व ही अंतरिम निषेधाज्ञा को निस्तारित किये जाने की भूल की है। वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण की पुश्तैनी आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की आड मे रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी को बेचान करने पर आमादा है, अगर वे ऐसा करने मे कामयाब हो गये तो इससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। अत जैर अपील आदेश की पालना व प्रभाव को स्थगित फरमाया जावे।

कैवियटकर्ता अधिवक्ता ने स्थगन मे वर्णित तथ्यो को विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण मे वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध मे प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण के पिता सांवला वल्द भगा द्वारा श्रीमति मोहनीदेवी, श्रीमति पोनीदेवी, श्रीमति हरकुदेवी, श्री सुजाराम, श्रीमति मंजूदेवी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–विलेख बेचान की है एवं उक्त समस्त पक्षकार वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार बन चुके है। किन्तु अपीलांटगण द्वारा उक्त समस्त खरीददारो को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र मे पक्षकार नही बनाया गया एवं न ही उक्त अपील मे पक्षकार बनाया गया है। कानूनन रेकर्डेड खातेदारो को पक्षकार बनाये बिना खातेदारी घोषणा का दावा चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यो का ध्यान मे रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। जो कि विधिसम्मत है। अत अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तवोजो को अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण मे यह निर्विवाद सत्य है कि अपीलांटगण के पिता सांवला वल्द भगा द्वारा वादग्रस्त आराजी का बेचान श्रीमति मोहनीदेवी, श्रीमति पोनीदेवी, श्रीमति हरकुदेवी, श्री सुजाराम, श्रीमति मंजूदेवी को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–विलेख किया गया है एवं उक्त समस्त पक्षकार वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार बन चुके है। अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत उक्त समस्त पक्षकारो को पक्षकार संयोजित किये बिना पूर्व मे एकतरफा अंतरिम व्यादेश पारित करवाया गया। उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये एकतरफा अंतरिम व्यादेश को अपास्त किया गया है। जिसमे प्रथम दृष्टया हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण मे यह निर्विवाद सत्य है कि वादग्रस्त आराजी के संबध मे मूल निर्णय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत निर्णीत होगा। जिससे प्रकरण को हाजा न्यायालय मे इस स्तर पर विचाराधीन रखे जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अत सहायक कलक्टर सायला द्वारा प्रकरण संख्या 02/2023 बउवान मांगीलाल वगैरा बनाम हरकुदेवी वगैरार मे उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए 01 माह के भीतर विधिसम्मत आदेश पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

12.4.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली